बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0–13 / स्था0–02–45 / 2026 /

पटना, दिनांक –

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा के पत्रांक–3148 दिनांक 19.09.2026 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्रीमती खुशबू कुमारी, (जे0 11904), कनीय अभियंता (असैनिक), पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खजौली के प्रथम संतान के जन्म हेतु दिनांक 21.09.2026 से दिनांक 19.03.2027 तक (कुल–180 दिन) को बिहार सेवा संहिता के नियम–220 एवं वित्त विभाग, पटना के पत्रांक–9889 दिनांक 01.12.2015 में निहित प्रावधानों के तहत मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :– जिला कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – 5797 पटना, दिनांक – 05/10/2026

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा को उनके पत्रांक–3148 दिनांक 19.09.2026 के प्रसंग में / कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खजौली / श्रीमती खुशबू कुमारी, (जे0 11904), कनीय अभियंता (असैनिक), पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खजौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/10/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।